रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 1989/श्रावण 25, 1911
No. 157] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 1989/SRAVANA 25, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना संख्या 20 ईटीसी (पी एन)/89

नई दिल्ली, 16 अगस्त 1989

विषय - मोर की दुम के पंखों और उनसे विनिर्मित वस्तुओं/हस्तशिल्पों का निर्यात ।

फा. सं. 30(12)/89-ई II--उपर्युक्त विषय पर आयात-निर्यात नीति 1988-91 (खण्ड 2) के परिशिष्ट-5 की सूची-2 की क्रम सं. 1 के साथ पठित भाग "ख" की क्रम सं. 2038(ङ) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि मोर की दुम के पंखों और उनसे विनिर्मित वस्तुओं/हस्तशिल्पों के निर्यात की अनुमति सीमित सीलिंग के अन्दर निम्नलिखित श्रेणी के निर्यातकों को होगी :—

1. संस्थापित निर्यातक ।

2. उन विनिर्मित/हस्तशिल्पों के निर्यातक जिनमें मोर की दुम के पंखों का प्रयोग किया गया हो ।

3. राजस्थान पंख (उत्पाद) सहकारी समिति जोधपुर ।

4. उत्तर प्रदेश निर्यात निगम ।

5. बिहार राज्य निर्यात निगम ।

6. अन्य सरकारी और सहकारी क्षेत्र के अभिकरण ।

7. न्यूनतम मूल्य वसूली करने वाले यूनिट ।

3. संस्थापित निर्यातकों को 30 सितम्बर, 1967 को समाप्त 3 वर्ष की निर्धारित मूल अवधि में से जिस वर्ष में उनका निर्यात निष्पादन सबसे अच्छा रहा हो उनके द्वारा पहले ही चुने गए उस वर्ष के निर्यातों को ध्यान में रखते हुए यथानुपात आधार पर निर्यात अनुमेय किया जाएगा। क्रम सं. 1, 2 और 6 के लिए सीलिंग का प्रचालन संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, सी.एल.ए., नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के द्वारा और क्रम सं० 3 और 4 के लिए इसका प्रचालन क्रमशः युक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात सी एल. ए., नई दिल्ली और कानपुर द्वारा किया जाएगा। श्रेणी 5 की सीलिंग को संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, कलकत्ता द्वारा प्रशासित किया जाएगा ।

4. क्रम सं. 7 की श्रेणी के लिए निर्यात की अनुमति अधिकतम मूल्य वसूली के आधार पर दी जाएगी। अधिकतम मूल्य वसूली पर आधारित सीलिंग के आबंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु एक व्यापार सूचना अलग से जारी की जाएगी ।

5. ऊपर उल्लिखित सभी श्रेणियों को, उनको आबंटित सीलिंग के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत के समकक्ष बैंक गारंटी के निष्पादन करने के बाद निर्यात अनुमेय किया जाएगा। मोर की दुम के पंखों के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य 3/- प्रति नग (रु. 300/- 100 नगों के लिए) नियत किया गया है और निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य से नीचे अनुमेय नहीं होगा। यदि निर्यात विशिष्ट अवधि के दौरान नहीं किया जाता है तो आयात-निर्यात नीति 1988-91 (खण्ड-2) के पैरा 7 की शर्तानुसार या समय-समय पर जारी किए जाने वाली सार्वजनिक सूचना में अलग से निहित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

6. झाड़ू, झाडन, बण्डलों, क्रैस्ट पंखों या मोर के किसी अन्य भाग का निर्यात अनुमेय नहीं है ।

7. यह सार्वजनिक सूचना लोकहित में जारी की गई है।

राजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्य

MINISTRY OF COMMERCE

Export Trade Control

PUBLIC NOTICE No. 20-ETC (PN) /89

New Delhi, the 16th August, 1989

Subject : Export of Peocock Tail Feathers and articles/handicrafts manufactured therefrom.

File 30(12)/89-E.II :—Attention is invited to S. No. 3038(e) of Part 'B' read with S. No. 1 of List II of Appendix-I of the Import and Export Policy 1988-91 (Vol.II) on the above subject.

2. It has been decided to allow export of Peacock Tail Feathers and articles/handicrafts made therefrom within a limited ceiling by the following categories of exporters :—

1. Established Exporters.
2. Exporters of Manufactured Articles/handicrafts in which Peacock Tail Feathers have been used.
3. Rajasthan Feathers (Puoduc.) Co-operative Society, Jodhpur.
4. U. P. Export Corporation.
5. Bihar State Export Corporation.
6. Other Public Sector and Co-op, Agencies.
7. On Highest Unit Value Realisation.

3. Established Exporters will be allowed to export on pro-ratad basis having regard to their best year's exports as already selected by them out of the prescribed basic period of 3 years ending 30th September, 1967. For categories No. 1, 2 and 6, the ceiling will be operated by Jt. Chief Controller of Imports & Exports, C.L.A., New Delhi, Bombay, Calcutta and Madras and for categories No. 3 and 4, it will be operated by JCCI&E (CLA) New Delhi and Kanpur respectively. The ceiling for category 5 will be administrated by Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Calcutta.

4. For category at S. No. 7, the export will be allowed on the basis of highest unit value realisation. A Trade Notice inviting the applications for allocation of the ceiling based on highest value realisation will be issued separately.

5. Export will be allowed by all categories mentioned above after they execute Bank Guarantee equivalent to 10% of the FOB value of the ceiling allotted to them. The Minimum Export Price for export of Peacock Tail Feathers has been fixed at Rs. 3|- per piece. (Rs. 300|- per 100 pieces), and the exports shall not be allowed below MEP. In case the export is not made within the specified period, the action will be taken in terms of para 7 of Import and Export Policy 1988-91 (Vol. II) or as per the procedure laid down separately from time to time by issue of Public Notice.

6. Export of Brooms, Dusters, Bundles, Crest Feathers or any other part of Peacock shall not be allowed.

7. This Public Notice has been issued in Public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989